न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– शंकर लाल सैनी, RAS

पंचायत निगरानी संख्या : 41 / 2018

शकूर खां पुत्र श्री भूरे खां, जाति–मुसलमान, निवासी–ग्राम खोरा श्यामदास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

निगरानीकर्ता,

वनाम

1. सीताराम पुत्र श्री कानाराम, निवासी–ग्राम खोरा श्यामदास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
2. गोपाली देवी पत्नी श्री सीताराम, निवासी–ग्राम खोरा श्यामदास, तहसील– आमेर, जिला–जयपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत खोराश्यामदास, पंचायत समिति आमेर, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
4. उप–सरपंच ग्राम पंचायत खोराश्यामदास, पंचायत समिति आमेर, तहसील आमेर, जिला–जयपुर।

गैर–निगरानीकर्तागण,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास, पंचायत समिति आमेर, जिला–जयपुर, प्रस्ताव सं0 6 दिनांक 20.12.2004)

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद आसिफ खान, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री मुकेश यादव, गैर–निगरानीकर्तागण सं0 1 व 2 की ओर से।
3. गैर–निगरानीकर्तागण सं0 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 27.12.2021**

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास द्वारा प्रस्ताव सं0 6 दिनांक 20.12.2004 द्वारा गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 के पक्ष में पट्टा सं0 1090 जारी करने से व्यथित होकर पेश की गई है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। गैर–निगरानीकर्तागण को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली मंगाई जा कर शामिल मिसल कराई गई। गैर–निगरानीकर्ता सं0 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने लिखित बहस पेश कर लिखित बहस में अंकित तथ्यों के आधार पर कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास, पंचायत समिति आमेर, जिला–जयपुर के प्रस्ताव सं0 6 दिनांक 20.12.2004 पट्टा निरस्त करने हेतु पेश की गई है। निगरानीकर्ता एवं

गैर–निगरानीकर्ता को पृथक–पृथक इन्द्रा आवासीय योजना के तहत ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास द्वारा आबादी भूमि का अपनी अपनी भूमि का पट्टा दिनांक 30.10.1992 को जारी किया गया, जिसमें निगरानीकर्ता एवं गैर–निगरानीकर्ता अपने अपने पट्टेशुदा भूमि में से 2–2 फीट का रास्ता कुल 4 फीट दर्शाया गया है। जिसमें आपसी रजामंदी से यह तय किया गया कि निगरानीकर्ता व गैर–निगरानीकर्ता द्वारा छोडी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा नही करेगें, कोई निर्माण नही करेगें, किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करेगें ना ही एक दूसरें को उपरोक्त छोडी गई गली के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करेगें। निगरानीकर्ता द्वारा अपने रहने हेतु उपरोक्त पट्टेशुदा भूमि पर जब मकान बनाया। तो आसपास के लोगों ने निगरानीकर्ता द्वारा उसकी भूमि में से 4 फीट भूमि का रास्ता छोडकर मकान का निर्माण करने का दबाव बनाया। इस पर निगरानीकर्ता द्वारा निवेदन किया कि उसके द्वारा पहले से ही अपने पट्टेशुदा भूमि में से 2 फीट का रास्ता छोड चुका है। अब आप लोग 4 फीट छोडने का आप लोग नाजायज दबाव बना रहे हों। इस प्रकार आसपास के लोगों द्वारा निगरानीकर्ता पर नाजायज दबाव बनाकर निगरानीकर्ता से पट्टेशुदा भूमि में से 4 फीट का रास्ता वास्ते आमद रफत का रखवा लिया गया। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा अपने पट्टेशुदा भूमि में से 6X45 वर्गफीट की भूमि छोड दी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की उक्त वादग्रस्त भूमि निगरानीकर्ता की पट्टेशुदा भूमि है, जिस पर आदिनांक तक निगरानीकर्ता का कब्जा है एवं इसका उपयोग उपभोग कर रहा है। छोडी गई भूमि से सुखाधिकार के अनुसार हवा रोशनी प्राप्त करता चला आ रहा है। निगरानीकर्ता के मकान के दक्षिण की ओर छोडी गई पट्टेशुदा भूमि की ओर खुलती हुई खिडकियां निगरानीकर्ता के कमरों में हवा रोशनी प्राप्ति का एकमात्र जरिया है।

दिनांक 15.01.2014 को निगरानीकर्ता के अधिकार क्षेत्र में गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 नाजायज निर्माण करने पर उतारू हो गये एवं धौंस दी कि निर्माण सामग्री लाकर खिडकी दरवाजे बंद करें। निगरानीकर्ता भूमि कब्जा कर लेगा व उसको उसका उपयोग उपभोग नही करने देगा। गैर–निगरानीकर्ता के द्वारा उक्त वादग्रस्त खाली पडी निगरानीकर्ता की पट्टेशुदा भूमि को स्वयं का बताते हुए 6X45 वर्गफीट का एक पट्टा गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 गोपाली देवी पत्नी श्री सीताराम द्वारा दिनांक 20.12.2004 को बदनियतिपूर्वक तत्कालीन सरपंच एवं उप सरपंच से सांठ–गांठ कर गुप्त रूप से नियमों से परे जा कर पट्टा प्राप्त कर लिया जो गैर–कानूनी है। यदि माननीय न्यायालय मूल पट्टा पत्रावली का अवलोकन करें तो यह पाया जावेगा कि पट्टा प्राप्त करने के लिए दिये गये आवेदन पर किसी भी व्यक्ति के ना तो हस्ताक्षर है ना ही आवेदन पत्र पर तारीख अंकित है। ग्राम पंचायत की आर्डरशीट पर लिखी गई लिखावट, पट्टा प्राप्त करने के लिए दिये गये आवेदन की लिखावट एक ही व्यक्ति

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर जिला–जयपुर सत्यमेव जयते

की ही है। सरपंच व उप सरपंच के द्वारा फर्जी तरीके से गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 व 2 से सांठ–गांठ कर निगरानीकर्ता के द्वारा 6X45 वर्गफीट की छोडी गई भूमि का फर्जी तरीके से एक नक्शा बनाकर 2 फीट गली छोडकर उत्तर में शकुर खां (निगरानीकर्ता) का मकान बताकर पट्टा जारी कर दिया जो अवैध है। नजरी नक्शें में किसी भी व्यक्ति व गवाह के हस्ताक्षर नही है। ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास पंचायत समिति आमेर द्वारा पट्टा जारी करते हुए पंचगण की रिपोर्ट किस तारीख को हुई, कब रिपोर्ट बनाई, किस–किसनें मौके पर जाकर स्थल कब निरीक्षण किया व किस व्यक्ति के सामने किया व किस व्यक्ति के हस्ताक्षर करवायें, स्पष्ट नही है। ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास पंचायत समिति आमेर के सरपंच एवं उप सरपंच के द्वारा लिये गये बयानों पर, प्रार्थना पत्र एवं आदेशिका पर एक ही व्यक्ति की हेण्डराईटिंग होने से प्रत्यक्ष रूप से मिली–भगत की आशंका सिद्ध होती है। ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास पंचायत समिति आमेर के सरपंच एवं उप सरपंच के द्वारा उक्त विवादित भूमि पर मौके पर गोपाली देवी (गैर–निगरानीकर्ता) का पुश्तैनी मकान बता रहे है। जबकि उक्त भूमि ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास पंचायत समिति आमेर द्वारा इन्द्रा आवास योजना के तहत निगरानीकर्ता एवं गैर–निगरानीकर्ता को उक्त भूमि दिनांक 30.10.1992 को पट्टा जारी किया गया था अर्थात् यह भूमि पुश्तैनी भूमि नही थी। जिसमें निगरानीकर्ता का पट्टा सं0 2/1992 एवं गैर–निगरानीकर्ता का पट्टा सं0 1/1992 की भूमि दी गई जिसमें दोनों की भूमि में से 4 फीट का सेटबेक छोडा गया था। निगरानीकर्ता का दिनांक 30.10.1992 से अपने पट्टेशुदा छोडी गई भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा विधि–विरूद्ध रूप से गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि आक्षेप नोटिस में वार्ड पंच कालूराम मीणा की अंगूठा निशानी दर्शाया गया है जबकि कालूराम अंगूठा निशानी नहीं बल्कि हस्ताक्षर करता है। ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास पंचायत समिति आमेर के सरपंच एवं उप सरपंच द्वारा पट्टा जारी करने के लिए गये जिन गवाहों के बयान लिये गये वे वादग्रस्त भूमि से लगभग 2 किलोमीटर दूर रहते है। जबकि नियमों के अनुसार गवाह पट्टा भूमि के लगते हुए होने चाहिए। यदि भूमि का विक्रय किया जाना आवश्यक हो तो भूमि की नीलामी करने से पूर्व दोनों पक्षकारों को जो उक्त भूमि की पट्टा से लगवा है, की रजामंदी से नीलाम की किया जाना चाहिए ना कि विक्रय। ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास द्वारा विधि–विरूद्ध रूप से वादग्रस्त भूमि का विक्रय गैर–निगरानीकर्ता को 10 रूपयें में किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व पंचगण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई भी तारीख अंकित नही है तथा पंचगण रिपोर्ट पर सरपंच के हस्ताक्षर एवं फर्जी पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षरों में भिन्नता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास पंचायत समिति आमेर के सरपंच एवं उप सरपंच द्वारा आक्षेप नोटिस, फैसला फार्म में

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

दिनांक 28.08.2004 को जारी होना बताया गया है। जबकि आक्षेप नोटिस की आदेशिका में दिनांक 20.08.2004 का नोटिस भिजवाया गया, जो अलग–अलग होने व फर्जी है। नक्शें पर ना तो दिनांक अंकित है ना ही सचिव के हस्ताक्षर है। सरपंच व उप सरपंच के द्वारा एक ही जगह एकराय होकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए सरकारी भूमि को अपने ही परिवार को नाम स्वंय को लाभ पहुंचाकर एवं सरकार के राजस्व को नुकसान कारित किया गया है। इनके द्वारा दिनांक 20.11.2004 से 20.12.2004 तक आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी फर्जी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत अधिनियम, 1996 के नियम 157 (2), राजस्थान पंचायत अधिनियम–1996 के नियम 140 का उल्लघंन कर पट्टा जारी किया गया है।

वादग्रस्त भूमि निगरानीकर्ता की पट्टेशुदा छोडी गई भूमि है जिसमें गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 का ना तो कब्जा है और ना ही उक्त पट्टी से लगवा कोई मकान व दुकान स्थित है, के बावजूद भी ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास पंचायत समिति आमेर द्वारा मनमर्जी प्रश्नाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा विधि–विरूद्ध रूप से पट्टा जारी किया गया है। अतः वादग्रस्त पट्टे को खारिज किया जावें। विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा दौराने बहस निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन करवाया गयाः–

1. भूराराम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य डी.एन.जे.–2009 (1) पेज 262

2. महावीर प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार व अन्य एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं0 2203/85 निर्णय दिनांक 04.01.1996 डब्ल्यू.एल.सी. 1996 (3) पेज नं0 595 राजस्थान

3. नारायण लाल बनाम स्टेट व अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं0 3086/1998, 1999 डी.एन.जे. राजस्थान पेज–662

4. बाबू सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं0 7224/2008 डब्ल्यू.एल.सी. 2009 पेज–759

5. नवला राम बनाम अतिरिक्त कलक्टर, बाडमेर व अन्य, डी.एन.जे.–2008 (3) 1627, नियम 140

6. नागरमल बनाम अति. जिला कलक्टर सीकर व अन्य एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं0 11006–08/2012 निर्णय दिनांक 30.07.2012 डब्ल्यू.एल.सी. 2013 (1) पेज 768

7. सम्पत लाल सेठिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं0 1548/2001 निर्णय दिनांक 10.05.2002 डब्ल्यू.एल.सी. 2002 (4) पेज

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

8. भैयाराम बनाम अति. कलक्टर बाडमेर व अन्य डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (डब्ल्यू) नं0 1086/2008 निर्णय दिनांक 29.01.2009 डी.एन.जे.–2009 (2) पेज 982

9. उमा सोनी बनाम दी स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं0 3785/2001, निर्णय 10.08.2009 डब्ल्यू.एल.सी. 2010 (1) पेज 472

10. जगदीश बनाम अति. जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय व अन्य एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं0 3276/1999 आर.आर.टी.–2003 (1) पेज 174

विद्वान् अधिवक्ता गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 व 2 ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। निगरानीकर्ता का कोई भू–खण्ड ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास में नही है ना ही निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी किया गया है तथा निगरानीकर्ता की भूमि की नाप एवं सीमाऐं भी जो निगरानी में अंकित की गई है वह सही नही है। निगरानीकर्ता को कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा आवादी भूमि का ना तो जारी किया गया है ना ही वह वहां का निवासी है, बल्कि वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत खोराश्यामदास द्वारा गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 के हित में पट्टा सं0 1/92–93 दिनांक 30.10.1992 को जारी किया गया था। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 30.10.1992 को ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास द्वारा आवादी का 150 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया था। जिसकी नाप पूर्व पश्चिम 45 फीट तथा उत्तर दक्षिण 30 फीट है। जिसके चारों ओर की सीमाओं में पूर्व की ओर आम रास्ता 15 फीट चौडा, पश्चिम की ओर गोपी खाती का मकान, उत्तर की ओर वोरिंग एवं पंचायत की भूमि तथा दक्षिण की ओर 4 फीट गली एवं उम्मेद सिंह का मकान स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 की पत्नी गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 के हित में पट्टा सं0 1090 दिनांक 20.12.2004 को जारी किया गया था। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 20.12.2004 को ग्राम पंचायत द्वारा आवादी भूमि का 30 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है। जिसकी नाप पूर्व–पश्चिम 45 फीट तथा उत्तर–दक्षिण 6 फीट है। जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व की ओर आम रास्ता, पश्चिम की ओर हनुमान खाती का मकान, उत्तर की ओर 2 फीट की गली छोडकर गैर--निगरानीकर्ता सं0 1 व 2 का स्वयं का मकान तथा दक्षिण की ओर गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 का मकान स्थित है। गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी वैध पट्टेशुदा भूमि पर मकान बनाकर काबिज है एवं उपयोग उपभोग कर रहें है। निगरानीकर्ता द्वारा नक्शे में जो रास्ता दर्शाया गया है वह रास्ते की भूमि नही है बल्कि गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 व 2 की पट्टेशुदा भूमि है। अतः मौके पर कोई रास्ता ही नही है तो अतिक्रमण कर मकान उत्पन्न करने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी नही किया गया है ना ही निगरानीकर्ता पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण करवाकर रिहायश कर रहा है। यदि निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत से

मिली–भगत कर कोई पट्टा बनवा लिया है तो वह फर्जी एवं कूटरचित है। उससे निगरानीकर्ता को कोई हक एवं मालिकान अधिकार प्राप्त नही होते है। गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 व 2 द्वारा अपनी पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण करवाया गया है। निगरानीकर्ता का यह कथन कि वह 8X45 फीट भूमि को उपयोग में ले रहा है, यह कथन मिथ्या एवं बदनियतीपूर्ण है। निगरानीकर्ता को गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 व 2 की पट्टेशुदा भूमि पर कोई सुखाधिकार प्राप्त नही है।

ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2004 विधि सम्मत् है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह कानून के दायरे में रहते हुए सर्वसम्मति से पारित कर गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 को जारी किया गया पट्टा पूर्ण रूप से वैधानिक है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बेबुनियाद, आधारहीन आधारों पर प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी खारिज की जावें।

गैर–निगरानीकर्ता सं0 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 04.08.2004 की आदेशिका में सरपंच के हस्ताक्षर नही है, परन्तु दिनांक 20.08.2004 एवं दिनांक 20.11.2004 को सरपंच द्वारा किये गये हस्ताक्षर एवं पंचों की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.11.2004 में सरपंच के हस्ताक्षर मेल नही खाते है अर्थात् आदेशिका एवं कार्यवाही रजिस्टर में सरपंच के हस्ताक्षरों में भिन्नता है। मूल पत्रावली में गोपाली देवी का प्रार्थना पत्र उपलब्ध है, जिसमें गोपाली देवी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी अंकित होना प्रतित नही होता है। बिना हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी के लिया गया प्रार्थना पत्र वैधानिक रूप से उचित नही माना जाता है। मूल पट्टा पत्रावली के पृष्ठ सं0 5 व 6 पर उपलब्ध नक्शे में उत्तर की ओर शकूर खां का मकान बताया गया है तथा इसके नीचे 2 फीट की गली बताई गई है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये नोटिस में शकूर खां का मकान नही बताकर स्वयं का मकान बताया गया है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार दिनांक 30.10.1992 को शकूर खां एवं सीताराम को 30X45 फीट के पट्टे जारी किये गये थे। दोनों पट्टो के मध्य में 4 फीट की गली/रास्ता दर्शाया गया है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 को 6X45 फीट का पट्टा जारी कर दिया गया। पूर्व में जारी 2 पट्टों के मध्य 4 फीट की गली दर्शायी गई है। जबकि गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 को जारी पट्टा 6 फीट चौडाई का है और 2 फीट की गली छोडी गई है। अतः गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 को जारी पट्टे में भूमि कहां से आयी संदिग्ध प्रतीत होती है। पत्रावली के अवलोकन पर यह पाया गया है कि निरीक्षणकर्तागण (पंच) की रिपोर्ट में रिक्त स्थानों की पूर्ति नही की गई है, जिससे यह ज्ञात नही होता है कि पंचगण की रिपोर्ट किस तारीख को कब बनाई गई, कब निरीक्षण किया गया, कितने बजे किया गया। इस प्रकार निरीक्षण रिपोर्ट अपूर्ण होना

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर जिला–जयपुर

पाया गया। निरीक्षण रिपोर्ट पर अंकित सरपंच के हस्ताक्षर एवं नोटिस पर सरपंच के हस्ताक्षरों में भी भिन्नता होना पाया गया है। फैसला फार्म पर किये गये हस्ताक्षर और कार्यवाही रजिस्टर में अंकित सरपंच के हस्ताक्षरों में भी भिन्नता है। इस प्रकार मूल पत्रावली एवं कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि सरपंच के हस्ताक्षर एवं कार्यवाही रजिस्टर में अंकित हस्ताक्षरों में भिन्नता है। सम्पूर्ण कार्यवाही गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 के पक्ष में वास्तविक तथ्यों को दरकिनार करते हुए पूर्ण की गई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों को देखने से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि शकूर खां एवं सीताराम को ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास द्वारा दिनांक 30.10.1992 को जारी किये गये पट्टों के बीच में स्थित भूमि का पट्टा गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 के पक्ष में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विरूद्ध जा कर वादग्रस्त पट्टा जारी किया गया है। मूल पट्टा पत्रावली में पट्टे की कोई द्वितीय प्रति भी सम्मलित नही की गई है।

अतः उक्त विवेचनानुसार निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास द्वारा दिनांक 20.11.2004 को पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास, पंचायत समिति आमेर, जिला–जयपुर द्वारा जारी किये गये पट्टा सं0 1090 को दिनांक 20.12.2004 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत खोरा श्यामदास को प्रकरण इस आशय के साथ प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को पुनः सुनकर विधि अनुरूप नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 27.12.2021 को सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(शंकर लाल सैनी)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर